# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 576/2018**

हरीराम मीणा **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOF), राजस्थान, जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर।
3. उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़।
4. श्री रघुवीर सिंह मीणा पुत्र श्री सम्पत राम (वनपाल) जरिये उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 15.05.2018

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री उम्मेद सिंह, अभिभाषक
**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

**अपील संख्या :– 1092/2018**

हरीराम मीणा **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOF), राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर।
3. उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़।
4. रामजी लाल मीणा (जब से सेवानिवृत्त हुए हैं) वार्ड के निवासी, नं. 24, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर।
5. नाथू राम, वर्तमान में वनपाल रेंज कार्यालय के अंतर्गत कार्यरत, पीलीबंगा, वन प्रभाग, हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 04.06.2018

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अभिभाषक
**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

**आदेश की दिनांक** : 17.08.2023

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

प्रस्तुत अपील संख्या 576/2018 में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 03.03.2014 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को वनपाल के पद पर पदोन्नत किया जावे एवं अपील संख्या 1092/2018 में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य

आदेश दिनांक 16.03.2018 एवं 16.03.2018 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के विरूद्ध वनपाल के पद पर पदोन्नत किया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ एवं शेष राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाए जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपील संख्या 576/2018 में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग से है और उसकी नियुक्ति वनरक्षक के पद पर दिनांक 29.12.1983 को हुई थी। उसे सहायक वनपाल के पद पर रिक्ति वर्ष 2009–10 में पदोन्नति दी गई। अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची दिनांक 02.08.2010 में क्रम संख्या 16 पर अंकित था और अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2013 में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम क्रम संख्या 1 पर और अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 2 पर दर्शाया गया। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से है और उसके एपीएआर में कई प्रतिकूल प्रविष्टि वर्ष 2009–10 में दर्ज हैं। वनपाल के पद 50:50 के क्रम में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के आधार पर भरे जाते हैं। उसने प्रतिकूल प्रविष्टि के संबंध में विभाग को अभ्यावेदन दिए, परंतु उनको आदेश दिनांक 27.06.2013 के द्वारा खारिज कर दिए गए। फिर भी विभाग द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध वनपाल के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया। जबकि उसका सेवाभिलेख कलंकित होने के बावजूद उसे पदोन्नति दे दी गई, परंतु अपीलार्थी की सेवाभिलेख साफ–सुथरा होने के उपरांत भी पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया। उक्त संबंध में अपीलार्थी ने विस्तृत अभ्यावेदन विभाग को दिया। परंतु उस पर कोई विचार नहीं किया गया।

उनका यह भी कथन है कि उप वन संरक्षक हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 01.04.2015 को स्थिति अनुसार अपने आदेश दिनांक 03.06.2015 से सहायक वनपालों की वरिष्ठता सूची जारी की गयी जिसमें अपीलार्थी प्रथम स्थान पर था। उप वन संरक्षक हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 15.06.2015 के द्वारा वनपाल के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किये गये जिसमें अपीलार्थी को जान बूझकर वरिष्ठतम होते हुए भी पदोन्नति से वंचित रखा गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 03.03.2014 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को वनपाल के पद पर पदोन्नत किया जावे एवं अपील संख्या 1092/2018 में अपीलार्थी

ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 16.03.2018 एवं 16.03.2018 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के विरूद्ध वनपाल के पद पर पदोन्नत किया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ एवं शेष राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाए जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील संख्या 576/2018 में प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत कर यह प्रतिवाद किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 श्री रघुवीर सिंह मीणा की एसीआर में वर्ष 2009–10 में प्रतिकूल प्रविष्टि थी। जो कि उन्हें वर्ष 2012–13 को डीपीसी की बैठक में वनपाल के पद पर पदोन्नति से एक वर्ष के लिये वंचित रखा व वर्ष 2013–14 की डीपीसी की बैठक में इन्हें पदोन्नत किया गया है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 4 के पदोन्नति आदेश दिनांक 03.03.2014 जारी किये गये।

प्रत्यर्थी संख्या 4 श्री रघुवीर सिंह मीणा की एसीआर वर्ष 2009–10 में प्रतिकूल प्रविष्टि के कारण उन्हें एक वर्ष बाद पदोन्नति मिली। अपीलार्थी का प्रतिवेदन सही न होने की वजह से उस पर कार्यवाही नहीं हुई। पदोन्नति आदेशानुसार यह अंकित है कि दिनांक 28.02.2014 को वन संरक्षक बीकानेर कार्यालय मुख्य वन संरक्षक बीकानेर की अध्यक्षता में सहायक वनपाल के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 4 को सहायक वनपाल को वनपाल के रिक्त पदो वर्ष 2013–14 के विरूद्ध वेतन श्रृंखला 5200–20200 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वनपाल के पद पर पदोन्नत किया जाता है। इसी प्रकार पदोन्नति समिति की बैठक रिपोर्ट के अनुसार यह अंकित है कि वर्ष 2013–14 हेतु सहायक वनपाल से वनपाल के पद पर पदोन्नति हेतु 10 रिक्तियां उपलब्ध थी। रोस्टर रजिस्टर के अनुसार 09 सामान्य एवं 01 अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है, जो कि वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 01 पर अंकित प्रत्यर्थी संख्या 4 की वर्ष 2009–10 की एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टि होने के कारण वर्ष 2012–13 की विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पात्र नहीं पाया गया। सहायक वनपाल की दिनांक 01.04.2013 की स्थिति अनुसार जारी वरिष्ठता सूची रोस्टर रजिस्टर जॉन ऑफ कन्सीडरेशन में आने वाले सहायक वनपाल का उपलब्ध कराये गये सेवाभिलेख तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का अवलोकन करने के उपरान्त ही पदोन्नति किया गया है। समिति द्वारा रिकार्ड का अवलोकन करने के उपरान्त ही प्रत्यर्थी संख्या 4

को योग्य पाये जाने पर पदोन्नति की अभिशंषा की गयी है, जो कि नियमानुसार है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से प्रकट होता है कि अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 दोनों कार्मिक अनुसूचित जनजाति वर्ग से है। अपीलार्थी की नियुक्ति वनरक्षक के पद पर दिनांक 29.12.1983 को हुई थी। उसे सहायक वनपाल के पद पर रिक्ति वर्ष 2009–10 में पदोन्नति दी गई। अंतिम वरिष्ठता सूची में दिनांक 01.04.2013 की स्थिति में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम क्रम संख्या 1 पर और अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 2 पर दर्शाया गया। जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टि वर्ष 2009–10 में दर्ज हैं। फिर भी विभाग द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध वनपाल के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया। जहां तक रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध वनपाल के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार न करने एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का सेवाभिलेख में प्रतिकूल प्रविष्टि होने उपरांत भी पदोन्नत किए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 4 श्री रघुवीर सिंह मीणा की एसीआर वर्ष 2009–10 में प्रतिकूल प्रविष्टि के कारण उन्हें एक वर्ष बाद पदोन्नति मिली। सहायक वनपाल के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 4 को सहायक वनपाल को वनपाल के रिक्त पदो वर्ष 2013–14 के विरूद्ध वेतन श्रृंखला 5200–20200 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वनपाल के पद पर पदोन्नत किया गया है। वर्ष 2013–14 हेतु सहायक वनपाल से वनपाल के पद पर पदोन्नति हेतु 10 रिक्त पद उपलब्ध थे, जिसमें रोस्टर रजिस्टर के अनुसार 09 सामान्य एवं 01 अनुसूचित जन जाति वर्ग का पद रिक्त था और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम वरिष्ठता अनुसार उपयुक्त पाए जाने पर विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर वनपाल के पद पर रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया, जबकि अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता में क्रम संख्या 2 पर अंकित होने के कारण एवं वनपाल का उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध एक ही पद रिक्त होने के कारण निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को पदोन्नति प्रदान की गई है, जो हमारे मत में नियमों के अनुरूप उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार अपीलार्थी के इस तर्क में हमें कोई बल प्रकट नहीं होता है। अतः अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 576/2018 (श्री हरी राम मीणा) में रखा जाकर, के साथ अपील संख्या 1092/2018 (श्री हरी राम मीणा) टैग की जाती है एवं आदेश की छाया प्रति अपील संख्या 1092/2018 (श्री हरी राम मीणा) में रखी जावे।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**